कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/2019–20/1–575 दिनांक–29.09.2019 के तहत् नरेन्द्र कुमार गुप्ता व्याख्याता भूगोल राउमावि भैंसलाना पावटा जयपुर का स्थानांतरण राउमावि सालिया, गांगडतलाई, बांसवाड़ा में किया गया। नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 683/2020 नरेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 683/2020 में माननीय अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2020 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना याचिकार्थीया को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्थांनातरित स्थान 650 किमी. दूरी पर स्थित होने तथा स्वंय के अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों से ग्रस्त होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि. कंवरपुरा जयपुर, राउमावि. चतुर्भुज जयपुर, राउमावि. कुजोता, जयपुर, राउमावि. जोधपुरा, जयपुर, राउमावि. फतेहपुरा खुर्द जयपुर राबाउमावि. मण्ढा जयपुर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ह्रदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानातंरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान थे। अपीलार्थी इन में से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता हैं। अपीलार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानांतरित स्थान पर 22.10.2019 को कार्यग्रहण कर चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता हैं। संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/नरेन्द्र /683/20/41 दिनांकः–21/08/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
8. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

abhyavedan